

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व सैल ग्वालियर कैम भौपाल.

45

श्री सुरेश प्रसाद  
सऊ कारा मालिक के  
पर प्रस्ता  
29.8.18

निगरानी 5676/2018/होशंगाबाद/भू.स.

1. गया प्रसाद साहू आ.स्व. श्री मुंशीलाल साहू

ग्राम झोंत तह. तामिया जिला छिन्वाडा

2. महेश आ. मुंशीलाल साहू ,

निवासी सौभापुर रोड, सरदार वार्ड पिपरिया

तह. पिपरिया जिला होशंगाबाद

----- आवेदकगण.

बनाम

1. विकास साहू आ.स्व. राजेन्द्र उर्फ राजू प्रसाद साहू

2. महेंद्र साहू आ.स्व. रमेश साहू

दौनी निवासी रायबिलास कालोनी, डधवास, पिपरिया

तह. पिपरिया जिला होशंगाबाद

----- अनावेदकगण.

पुनरीक्षण या चिका अर्थात धारा 50 मप्रभूरा 0संहिता.

यह कि आवेदकगण यह या चिका माननीय अपर आयुक्तगणों दय

नर्मदापुरम सभाग होशंगाबादके न्यायालय के रा.प्र.क्र. 300/अपडिल /17-18



आदेश दिनांक 16.8.18 जिसके तहत आवेदकगण की अपील खारिज की गयी

है के विरुद्ध पेश है जो उत्पन्न तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी के

पिपरिया के प्र.क्र. 300/6/16-17 आदेश दिनांक 16.2.18 से हुई ।

प्रकरण सीम में इस प्रकार है कि प्रश्नगत भूमि पिपरिया



नगर की डाकघर भूमि ख.नं. 21/2 प्लॉट नं. 27/1 रकबा 660 वर्गफुट



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5676/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	<p>याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता श्री मिश्रीलाल मालवी उपस्थित । याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 23-7-2019 को प्रस्तुत किया है जिसमें इस न्यायालय को सूचित किया है कि उभय पक्ष के मध्य समझौता हो जाने के कारण वह इस याचिका को चलाने में इच्छुक नहीं है । पुनरीक्षणकर्तागण के आवेदन के अनुसार प्रकरण समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हो । मूल अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> 25/8/19 (इकबाल सिंह बैस) अध्यक्ष</p>	